1. **"मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन मण्डी समिति के व्यापारी एवं आढ़ती दुर्घटना सहायता योजना"**

इस योजना का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों का निर्मित मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसर होंगे। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की समस्त अधिसूचित मण्डी समितियों के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों में लाईसेंस प्राप्त व्यापारी एवं आढती, जिनकी निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापार कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो जाती है, आच्छादित होंगे। इस योजना के प्राविधान निम्नवत् होंगे:–

1–शारीरिक दुर्घटना का तात्पर्य

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल परिसरों में लाईसेंस प्राप्त किसी व्यापारी एवं आढ़ती की दुर्घटना में मृत्यु का अर्थ निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापारिक कार्य करते समय वाह्य हिंसक एवं दृष्टिगत कारणों से हुई मृत्यु से है।

2–योजना के नियम व शर्ते–

(1) यह योजना केवल उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों में लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों के लिए ही लागू होगी।

(2) दुर्घटना केवल मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल के परिसरों की सीमा में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापारिक कार्य करने के दौरान घटित हुई हो।

(3) दावा–प्रपत्र के साथ सरकारी अस्पताल से प्राप्त शव–विच्छेदन रिपोर्ट/पंचनामा आवश्यक है।

(4) दावा–प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित आवेदक के निकटतम दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(5) दुर्घटना के समय व्यापारी एवं आढ़ती मण्डी समिति से वैध लाईसेंसधारक हो।

उपर्युक्त नियम–शर्तो के अन्तर्गत मृतक व्यापारी एवं आढ़ती के विधिक उत्तराधिकारी को योजना में आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि रू0 3,00,000/–(तीन लाख रूपये) दी जायेगी।

3–योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं आच्छादित होंगीः–

(1) बैल/भैसा गाड़ी, ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य वाहनों से टकराने व दब जाने के कारण घटित होने वाली दुर्घटनाएं।

(2) जानवरों द्वारा मारने अथवा सर्पदंश या अन्य विषैले जन्तुओं अथवा हिंसक जानवरों के काटने/हमला करने से घटित दुर्घटनाएं।

(3) मण्डी स्थल /उप मण्डी स्थल के परिसरों में व्यापारिक कार्य करते समय घटित होने वाली उपरोक्त व अन्य दुर्घटनाएं बाह्य दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जायेंगी और वह इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित मानी जायेंगी।

जान बूझकर शरीर को पहुँचाई गयी चोट, आत्महत्या/नशे की हालत में हुई दुर्घटना, किसी भी हिंसक कार्य में भाग लेने पर हुई मृत्यु या असंवैधानिक/ असामाजिक/उग्रवाद/ आतंकवाद या दंगा–फसाद अथवा बाढ़/भूकम्प/युद्ध/आणविक /रेडिएशन (विकरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गयी मार–पीट/ झगड़ा/कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अन्तर्गत दी गयी सजा द्वारा मृत्यु अथवा स्वाभाविक मृत्यु इस योजना के अन्तर्गत संरक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में योजना के अन्तर्गत सहायता राशि देय नहीं होगी।

4. दावों की प्रमाणिकता एवं नियंत्रण

इस योजना के अन्तर्गत मण्डी समिति का दायित्व है कि स्वार्थी व्यक्ति/तत्व इस सुविधा का दुरूपयोग न कर पाये, इस हेतु मण्डी समिति का सचिव अलग से जॉच कर यह पुष्टि करेंगे कि मृतक के बालिग बच्चे/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता हेतु किया गया आवेदन पत्र देय मानदण्डों/प्राविधानों के अनुसार प्रमाणित है तथा हर प्रकार से सही है। मण्डी समिति को छल–कपट, धोखा आदि की जानकारी किसी स्तर पर प्राप्त होती है, तो इसकी पुष्टि होने पर दी गयी सहायता धनराशि ब्याज सहित दोषी व्यक्तियों/लाभार्थियों से वसूल कर ली जाएगी।

5–दावा निस्पादन/निस्तारण हेतु प्रक्रिया

(1) दुर्घटना में प्रभावित मृतक के आश्रितों द्वारा 90 दिन के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में समय सीमा सचिव की संस्तुति पर सभापति की अनुमति से 90 दिन तक और बढाया जा सकता है। दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और दावाकर्ताओं के दावा– प्रपत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे।

(2) दुर्घटनाग्रस्त व्यापारियों एवं आढतियों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दावा प्रपत्र पर उसके निकटस्थ दो रिश्तेदारों अथवा दो प्रतिष्ठित

व्यक्तियों के गवाह के रूप में सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रार्थना–पत्र यथास्थिति ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों अथवा नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के प्रशासक/अध्यक्ष (चेयरमैन) द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(3) सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से प्राप्त शव विच्छेदन रिपोर्ट/पंचनामा दावा–प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(4) दावा–प्रपत्र के साथ सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(5) दावा आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

(6) दावा आवेदन पत्र पर आवेदक की तरफ से हस्ताक्षर/बॉये/दायें हाथ के अँगूठे के निशान सहित दावा प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बॉया अँगूठा कटा हो, तो दाये अँगूठे के निशान और यदि दोनों अँगूठे कटे हों, तो क्रियाशील हाथ की अँगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हों, तो कटे हुए हाथ के आगे के भाग का निशान लगाना होगा। यह महिलाओं तथा पुरूषों दोनों के लिए मान्य होगा।

(7) योजना में परिभाषित दुर्घटना का संज्ञान होने पर सम्बन्धित मण्डी समिति सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से स्थलीय जॉच करायेंगे और लाभार्थी के दावा आवेदन पत्र को तैयार कराने में सहयोग करेंगे। दावा यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जावेगा, लेकिन विशेष परिस्थियों में उक्त समयावधि सचिव की संस्तुति पर सभापति द्वारा एक माह तक बढायी जा सकती है।

(8) सचिव मण्डी समिति द्वारा जॉचोपरान्त सम्पूर्ण दावा आवेदन पत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु सभापति, मण्डी समिति को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा दावा आवेदन पत्र यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त समयावधि बढायी जा सकती है।

(9) दावा आवेदन पत्र स्वीकृत करने के उपरान्त सभापति, मण्डी समिति द्वारा लाभार्थियों को रेखांकित चेक/बैक ड्राफ्ट एवं बैंक सावधि जमा (एफ0डी0आर0) के माध्यम से भुगतान कराया जायेगा।

(10) इस योजना हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग मण्डी समिति द्वारा लाभार्थियों की सहायता किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(11) दावों का भुगतान लाईसेंस प्राप्त मृतक व्यापारी एवं आढ़ती के विधिक उत्तराधिकारी को मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा। मण्डी समिति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के नाम सहायता राशि रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) में से 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) रेखांकित चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये) तीन वर्षीय बैक सावधि जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में दिया जायेगा।